संख्या 2845/ब्यूरो-44-1-1-105-75

प्रेषक,

श्री भक्तिदेव मुकर्जी,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 1979

विषय :- सार्वजनिक उद्योगों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा।

महोदय,

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-1

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2348/ब्यूरो-105/75, दिनांक 30 जुलाई, 1976 की ओर आकर्षित करते हुये यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा जिन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हे उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य है, उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के

अधीन ही यह सुविधा उन्हें राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने पर, उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि में देय होगी।

भवदीय,
भक्तिदेव मुकर्जी,
उपसचिव।

संख्या 2845 (1)-ब्यूरो/44-1-105/75, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के संबंधित अनुभागों को शासनादेश संख्या 2348/ब्यूरो/105/75, दिनांक 30 जुलाई, 1976 की प्रति सहित, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
भक्तिदेव मुकर्जी,
उपसचिव।